



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2014/चैत्र 12, 1936

No. 191]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2014/CHATRA 12, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 261(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि सं. 130(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना में, पृष्ठ 1, पंक्ति 8 में, “निवारक स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता का संवर्धन” शब्दों के स्थान पर, “स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, जिसके अंतर्गत निवारक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल भी है, तथा स्वच्छता का संवर्धन” शब्द पढ़ें।

[फा. सं. 1/18ए/2013-सी.एल.-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDA

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R. 261(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs dated the 27th February, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. No. 130(E), dated the 28th February, 2014 at page 2, line 20 for “promoting preventive health care” read “promoting health care including preventinve health care”.

[F.No. 1/18A/2013-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.